

राजस्व अपील संख्या 127/2017 उप रजिस्ट्रार जोधपुर कॉर्पोरेटिव मार्केट सोसायटी
बनाम आयुक्त नगर निगम जोधपुर वगैराह

न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : बी०एल० कोठारी, आई.ए.एस

90 ए राजस्व अपील संख्या 127/2017

<u>अपीलान्टस</u>	<u>बनाम</u>	<u>रेस्पोंडेन्टस</u>
उप रजिस्ट्रार एवं जनरल मैनेजर जोधपुर को- ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाईटी लि. जोधपुर		1. आयुक्त, नगर निगम जोधपुर 2. पुखराज पुत्र श्री भंवरलाल जी जाति- माली, निवासी हंसलाव की पाल के पास मण्डोर जोधपुर 3. नितिन कुमार गहलोत पुत्र श्री महेन्द्रसिंह गहलोत जाति माली निवासी सुखाला बेरा विधि विश्व विद्यालय के पीछे मण्डोर जोधपुर 4. श्रीमती ललिता पत्नी श्री डूंगरसिंह जाति माली निवासी नयाबास नयापुर मण्डोर जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 90 ए (9) राज० भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश सचिव नगर विकास न्यास जोधपुर के द्वारा प्रकरण
संख्या 1852/2016 में दिनांक 30.05.2002 को पारित किया गया।

उपस्थिति:—

1. श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री एन.डी. निम्बावत, अधिवक्ता, रेस्पों.सं 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री ओमप्रकाश बूब, अधिवक्ता, रेस्पों. सं 2 ता 4 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक जुलाई, 2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील सचिव, नगर विकास न्यास जोधपुर के प्रकरण संख्या 1832/2016 दिनांक 30.5.2002 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 90-क (9) राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील संख्या 127/2017 उप रजिस्ट्रार जोधपुर कॉर्पोरेटिव मार्केट सोसायटी
बनाम आयुक्त नगर निगम जोधपुर वगैराह

2. अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अपीलान्त जोधपुर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाईटी लि. जोधपुर का उप रजिस्ट्रार है तथा उनका कार्यालय राजस्थान सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत पंजीबद्ध स्वायत्तशासी संस्था है जिसके पंजीयन संख्या 625/क्यू दिनांक 30.11.1959 है। साथ ही यह निवेदन किया कि ग्राम मण्डोर तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 1738 में अपीलार्थी का करीब 2 बीघा 10 बिस्वा क्षेत्रफल भूमि का एक गोदाम स्थित है, जिसका उपयोग अपीलार्थी के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों में वितरित की जाने वाली विभिन्न सामग्री का भण्डारण करने हेतु किया जाता है। अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि उक्त भूमि पूर्व समय में मण्डोर ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम की भूमि थी। मण्डोर ग्राम सेवा सहकारी समिति मण्डोर का अवशायन होने के कारण दिनांक 29.05.1990 के पक्षों के मध्य हुए समझौते के अनुसार उसके भवन, भूमि व समस्त लेनदारियां/देनदारियां इस संस्था को स्थानान्तरण कर दी गई थी।

3. अपीलार्थी के कब्जा सुदा भूमि के दक्षिणी में हंसलाव की पाल को जाने वाली सड़क आई हुई हैं जहां से अपीलार्थी अपने गोदाम में माल लोड, लदान, खाली करवाने, भीतर बाहर लाने के लिए उपयोग व उपभोग में लेते हैं। पूर्व में गोदाम में प्रवेश का रास्ता पूर्वी दिशा में था जहां प्रवेश द्वार की चौड़ाई मात्र 08 फुट है क्योंकि गेट के दोनों तरफ दुकान संख्या 13 व 14 स्थित है। जिनके मध्य गेट स्थित है। उक्त गेट की भूमि पर अतिक्रमण के कारण उक्त प्रवेश द्वार की साईज छोटी होने के कारण उक्त प्रवेश द्वार से भी भारी वाहन गोदाम के भीतर प्रवेश करना व बाहर निकालना सम्भव नहीं है। इस कारण अपीलार्थी के द्वारा गोदाम के भीतर भारी वाहन ले जाने व बाहर निकालने हेतु दक्षिणी दिशा में सड़क का ही उपयोग व उपभोग किया जाता रहा है एवं उक्त सड़क अपीलान्त के गोदाम की भूमि के मध्य 100 गुणा 20 वर्गफुट भूमि का पट्टा रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 (तत्कालीन नगर सुधार न्यास जोधपुर) के द्वारा अपीलाधीन आदेश क्रमांक 28 दिनांक 30.05.207 (भू-आवंटन पत्र) के जरिये रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के हक जारी कर दिया गया तथा उसने पट्टा जारी होने के पश्चात उक्त पट्टा सुदा भूमि में से रेस्पोंडेन्ट संख्या 03 नितिन कुमार गहलोत को बनाप 22.6 गुणा 20 वर्गफुट का भूखण्ड बेचान कर दिया।

4. कुछ समय पूर्व जब रेस्पोंडेंट संख्या 02 से 04 अपीलाधीन आदेश के जरिये जारी पट्टे में वर्णित भूमि पर पत्थर डाल कर अतिक्रमण कर रहे थे। उस दौरान अपीलार्थी के द्वारा उक्त लोगो को नोटस जारी कर अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया था, तब उक्त लोगो के द्वारा

राजस्व अपील संख्या 127/2017 उप रजिस्ट्रार जोधपुर कॉर्पोरेटिव मार्केट सोसायटी
बनाम आयुक्त नगर निगम जोधपुर वगैराह

अपने हक में जारी पट्टे के सम्बन्ध में अपीलार्थी को सूचना दी, तब अपीलार्थी के द्वारा समस्त तथ्यों से अवगत करवाते हुए एक प्रार्थन पत्र श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर को प्रस्तुत कर उक्त पट्टा विलेख निरस्त करवाने हेतु निवेदन किया गया था, तत्पश्चात उक्त प्रकरण को जिला सतर्कता समिति के समक्ष रखा गया था और रेस्पोंडेन्ट संख्या के समक्ष अपीलार्थी के द्वारा अपील में वर्णित समस्त तथ्यों से अवगत करवाते हुए उक्त पट्टे निरस्त करने के बाबत एवम आवश्यक दस्तावेज अपीलार्थी को उपलब्ध करवाने बाबत पत्र लिखा गया तत्पश्चात नगर निगम जोधपुर के द्वारा दिनांक 16.02.2016 को अपीलार्थी को जो पत्र प्रेषित किया गया उसके अनुसार अपीलार्थी को पट्टा निरस्ती बाबत सक्षम न्यायालय में निगरानी वाद जिला कलक्टर जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया तब अपीलार्थी ने अपील हेतु आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के समक्ष कार्यवाही की गई, जो दस्तावेज उपलब्ध दिनांक 21.03.2016 को प्राप्त हुए तत्पश्चात अपीलार्थी के द्वारा आवश्यक विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर उक्त अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलार्थी के द्वारा अपील प्रस्तुत करने में प्रमाणित दस्तावेज प्राप्ति पश्चात कोई विलम्ब नहीं किया गया इससे पूर्व में जो विलम्ब हुआ है वह सदभाविक विलम्ब है। क्योंकि पूर्व में अपीलार्थी के द्वारा समस्त तथ्यों से प्रशासन को अवगत करवाते हुए पट्टे निरस्ती के बाबत विभागीय स्तर पर कार्यवाही जारी रखे हुए था तत्पश्चात अपीलार्थी को विधि अनुसार वाद प्रस्तुति के बाबत सूचित करने पर अपीलार्थी के द्वारा बिना कोई समय व्यर्थ किये निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है। वह सदभाविक विलम्ब है जिस माफ किया जाना न्यायोचित है। इस बाबत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र न्यायालय समक्ष अलग से प्रस्तुत किया गया है।

6 अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तत्कालीन नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय प्रकरण संख्या 1852/16 दिनांक 30.05.2002 को अपास्त फरमाया जावे तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 के हक में जारी पट्टा विलेख को निरस्त फरमाया जावे।

7. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

8. हमने उपस्थित योग्य अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस पर मनन तथा प्रस्तुत अभिलेख, दस्तावेजों इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया। अपील मीमों में वर्णित तथ्यों एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं नोट शीट के अवलोकन से स्पष्ट है

राजस्व अपील संख्या 127/2017 उप रजिस्ट्रार जोधपुर कॉर्पोरेटिव मार्केट सोसायटी
बनाम आयुक्त नगर निगम जोधपुर वगैराह

कि अपीलार्थी ने तत्कालीन नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा उनके प्रकरण संख्या 852/16 में आदेश दिनांक 30.05.2002 को चुनौती दी है। जो कि खसरा संख्या 1738 से सम्बन्धित है। खसरा संख्या 1738 के सम्बन्ध में कार्यालय टिप्पणी के पैरा संख्या 3 में पटवारी द्वारा निम्न प्रकार से टिप्पणी की हुई है:—

“आवेदित भूमि ग्राम मण्डोर ख0सं0 1738 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा सिवाय चक (सरकारी) भूमि का भू-भाग है।”

उक्त प्रकरण की संधारित पत्रावली में आवेदनकर्ता रेसपो0 संख्या 2 द्वारा अपने आवेदन पत्र के बिन्दू संख्या 12 पर स्वयं को उक्त वादग्रस्त भू-भाग का अतिक्रमी तथा बिन्दू संख्या 13 में कब्जाधारी तथा बिन्दू संख्या 14 (1) में सरकार को मूल खातेदार बताया है।

9. अपील को गुणावगुण व म्याद के बिन्दू पर निर्णित किये जाने से पूर्व अपील पर सुनवाई क्षेत्राधिकार के बिन्दू तथा अपील के पोषणीयता बाबत तय किया जाना उचित होगा।

10. धारा 90—क राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के सुसंगत प्रावधानों का वर्णन किया जाना उचित होगा जो इस प्रकार से है:—

90-A Use of Agriculture land for Non- Agriculture Purpose-

- (1) No Person holding any land for the purpose of agriculture and no transferees of such land or any part thereof, shall use the same or any part thereof, by the construction of buildings thereon or otherwise for any other purpose except with the written permission of the state government obtained in the manner hereinafter laid down and otherwise than in accordance with the terms and conditions of such permission.
- (2) Any such person desiring to use land or any part thereof for any purpose other than that of agriculture shall apply for the requisite permission in prescribed manner and to the prescribed officer or authority and every such application shall contain the prescribed particulars.
- (3) The state Government shall after making or causing to be made due inquiry in the prescribed manner, either refuse the permission applied for or grant the same subject to the prescribed terms and conditions.

- (4) When any such land or part thereof is permitted to be used for any purpose other than that of agriculture the person to whom such permission is granted shall be liable to pay to the state government in respect thereof-
- (a) An urban assessment levied at such rate and in accordance with such manner as may be laid down in rules to be made in behalf by the State Government; or
- (b) Such amount by way of premium as may be prescribed by the State Government; or
- (c) Both.
- (5) If any such land is so used-
- (a) Without the written permission of the state government being first obtained, or
- (b) Otherwise than in accordance with the terms and condition of such permission, or
- (c) After such permission having been refused under sub-section(3), or
- (d) Without making any of payments referred to in sub section (4), the person originally holding the land as aforesaid for the purpose of agriculture as well as all subsequent transferees, if any shall be deemed to be trespasser or trespasser, as the case may be, and shall be liable to ejection from such land in accordance with section 91 as if he or they had occupied or continued to occupy such land without lawful authority and to every such proceeding the provision of section 212 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955) shall apply as if such land were in danger or being wasted, damaged or alienated:
- Provided that the state government may, in lieu of having such person and the subsequent transferees so ejected from the land in question, allow him or them, as the case maybe, to retain such land, use the same for any purpose other than that of agriculture on payment to the state government in addition to the urban assessment and premium payable under sub section (4), of such fine by way of penalty as may be prescribed.

- (5A) Notwithstanding anything contained in any other provision of this section, the agriculture land may be used without permission for such non agricultural purposes as may be prescribed by the state government.
- (6) Where permission under this section is sought with respect to a land situated in an urban area, the permission shall be granted only if the desired nonagricultural purpose is permissible in accordance with the law applicable in that area and is in consonance with the master plan or any other development plan or scheme, by whatever name called, in force if any, in that area.
- (7) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or any other law for the time being in force, when an order granting permission under law for the time being in force, when an order granting permission under this section is passed with respect to a land situated in an urban area on and from the date of such order,-
- (a) Tenancy rights over such land of the person to whom permission under this section is granted shall stand extinguished; and
- (b) The land shall be deemed to have been placed at the disposal of the local authority under section 102-A and shall be available for allotment to the person to whom permission is granted under this section ,or to successors, assignees or transferees of such person by the local authority for any permissible nonagricultural purposes in accordance with the rules, regulations or bye-laws made under the law applicable to the local authority, subject to the payment to the local authority or urban assessment or premium or both leviable and recoverable under sub-section(4).
- (8) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act and the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act no. 3 of 1955) where before 17th June,1999 any person, holding and land for agricultural purposes an urban area or within the urbanisable

limits or peripheral belt of an urban area, has used or has allowed to be used such land or part thereof for non-agricultural purposes or, has parted with possession of such land or part thereof for consideration by way of sale or agreement to sell and/or by executing power of attorney and/or Will or in any other manner for purported monagricultural use, the rights and interest of such person in the said land or holding or part thereof, as the case maybe, shall be liable to be terminated and the officer authorized by the State Government in the behalf, shall, after affording an opportunity of being heard to such person and recording reasons in writing for doing so, order for termination of his rights and interest in such land and thereupon the land shall vest in the State Government free from all encumbrances and be deemed to have been placed at the disposal of the local authority under section 192-A and shall be available for allotment or regularization by the local authority for and permissible non-agricultural purposes in accordance with the rules regulations or bye-laws made under the law applicable to the local authority to the persons having possession over such land or part thereof, as the case may be, on the basis of allotment made, or Patta given, by a Housing Co-operative Society or on the basis of any document of sale or agreement to sell or power of attorney or a Will or any other document purporting transfer of land to them either by the person whose rights and interests have been ordered to be terminated under this sub-section or by any other person claiming through such person, subject to the payment to the local authority of urban assessment or premium or both leviable and recoverable under sub-section (4):

Provided that-

- (1) nothing in this sub-section shall apply to any land belonging to deity, Devasthan Department, and public trust or any religious or charitable institution or a wakf;
- (2) no proceedings or orders under this subsection shall be initiated or made in respect of lands for which proceedings under the provisions of the Urban Land (Ceiling and Regulation)

राजस्व अपील संख्या 127/2017 उप रजिस्ट्रार जोधपुर कॉर्पोरेटिव मार्केट सोसायटी
बनाम आयुक्त नगर निगम जोधपुर वगैराह

Act, 1976 (Central Act No.33 of 1976), the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Act No. 11 of 1973) and the Rajasthan Land Reforms and Acquisition of Land Owners Estate Act, 1963 (Act No. 11 of 1964) are pending.

- (9) And person aggrieved by an order of an officer or authority made under this section may appeal within thirty days from the date of such order to such officer not below the rank of Collector as may be authorized by the State Government in this behalf, who shall, as far as practicable, dispose of such appeal within a period of sixty days from the date of its presentation and if he is unable to dispose of the appeal within the aforesaid period, he shall record reasons therefor. An order passed under this sub-section shall be final.

इस प्रकार उपरोक्त धारा 90-क से स्पष्ट है कि केवल काश्तकार ही अपने काश्तकारी अधिकारों का उपरोक्तानुसार समर्पण अकृषि प्रयोजना कर सकता है एवं धारा 90-क(9) के तहत अपील तब ही की जा सकती है जब वादग्रस्त भूमि खातेदारी की हो।

11. प्रस्तुत अपील में अपीलान्त ने अपनी अपील में "नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा जारी भू-आवंटन पत्र क्रमांक 28 दिनांक 31.5.2002 को चुनौती दी है। उक्त आवंटन पत्र के साथ जो प्रार्थना पत्र संलग्न किया है, उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 2 पुखराज पुत्र श्री भंवरलाल माली बहैसियत अतिक्रमी खसरा संख्या 1738 के 223 वर्गगज पर काबिज था। नगर विकास न्यास द्वारा उपलब्ध कराई गई पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संख्या 2056 की आंशिक प्रतिलिपि अनुसार खसरा संख्या 1738 गै0मु0 मगरा होकर सरकारी भूमि है।

12. हम रेस्पो0 संख्या 2 से 4 के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दौराने बहस किये गये इस कथन से सहमत है कि अपीलाधीन पट्टा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.3(264) नविवि/99/ पार्ट/जयपुर दिनांक 7.9.2001 एवं 28.12.2001 के तहत जारी किया गया है एवं यह पट्टा धारा 90 बी राज0 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही के अनुसरण में जारी नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में धारा 90-क (9) के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है।

13. हमने अपीलान्त के विद्वान अधिवक्ता से जानना चाहा कि क्या तत्समय प्रभावी धारा 90 बी के तहत कोई आदेश जारी हुआ है तो बतावे? जिस पर उन्होंने अपीलाधीन भू आवंटन पत्र दिनांक 30.5.2002 की ओर ही हमारा ध्यान आकर्षित किया।

राजस्व अपील संख्या 127/2017 उप रजिस्ट्रार जोधपुर कॉर्पोरेटिव मार्केट सोसायटी
बनाम आयुक्त नगर निगम जोधपुर वगैराह

14. पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड के अनुसार उपरोक्त भू आवंटन पत्र को धारा 90 बी के तहत जारी आदेश नहीं कहा जा सकता है क्योंकि प्रथमतः तो यह सरकारी भूमि पर जारी किया गया है जिस पर किसी भी काश्तकार का कोई काश्तकारी अधिकार (Tenancy right) नहीं है। यहां विलोपित धारा 90 बी की उपधारा (1) का उल्लेख करना समीचीन होगा जो केवल खातेदार द्वारा काश्तकारी अधिकारों के समर्पण के मामलों में ही लागू होती है। जिसकी अपील धारा 90 बी के विलोपन पश्चात अब धारा 90-ए(9) के तहत किये जाने का प्रावधान है। विलोपित धारा 90-बी (1)से (7) इस प्रकार से है :—

(1)Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act and the Rajasthan Tenancy Act,1955(Act No. 3 of 1955) where before the commencement of the Rajasthan Laws (Amendment) Act,1999 (Rajasthan Act No. 21 of 1999) any person, holding any land for agricultural purpose in [Urbanisable limits or peripheral belt of an urban area] has used or has allowed to be used such land or part thereof as the case may be, for non-agricultural purposes or, has parted with possession of such land or part thereof, as the case may be, for consideration by way of sale or agreement to sell and/or by executing power of attorney and /or will or in any other manner, for purported non-agricultural use, the rights and interest of such person in the said land or holding or part thereof, as the case may be, shall be liable to be terminated and such land shall be liable to be resumed.

(2)Where land has become liable to be resumed under the provisions of sub-section(1), the collector or the officer authorized by the state Government in this behalf shall serve notice calling upon such person to show cause why the said land may not be resumed summarily, and among other things, such notice may contain the particulars of the land, cause why said land may not be resumed, the particulars of the land, cause of proposed action, the place, time and date, where and when the matter shall be heard.

(3)When the tenant or the holder of such land or any person duly authorized by him, as the case may be makes an application in this behalf, expressing his willingness to surrender his rights in such land, with the intention of developing such land [for housing

commercial, institutional, semi-commercial , industrial, cinema on petrol pump purposes or, for the purpose of multiplex units, infrastructure projects or tourism projects or, for such other community facilities or public utility purposes, as may be notified by the state Government] the collector or the officer authorized by the State Government in this behalf, shall upon being satisfied about the willingness of each person, order for termination of rights and interest of such person in the said land and order for resumption of such land.

(4) The proceedings in the matter shall be conducted summarily and shall ordinarily be concluded within a period of sixty days from the first date of hearing specified in the notice served under Sub-section (2).

(5) Where, after hearing the parties, the collector or the officer authorized by the state government in this behalf, is of the opinion that the land is liable to be resumed under sub section (1), he shall after recording reasons in writing, order for termination of rights and interest of such person in the said land and order for resumption of the said land.

(6) The land so resumed under sub section (3) and (5) shall vest in the state free from all encumbrances and shall be deemed to have placed at the disposal of the concerned local authority under section 102 – A of this Act with effect from the date of passing such order:

Provided that the land surrendered under Sub-section (3) above, shall be made available to the person, who surrenders the land , for its planned development in accordance with the rules, regulation and bye-laws applicable to the local body concerned, [for housing , commercial institutional, semi-commercial, industrial, cinema or petrol pump purposes or, for the purpose of multiplex units, infrastructure projects or tourism project or, for other community facilities or public utility purposes.]

(7) The person, aggrieved by the order made under Sub-section (5), may appeal to the Divisional Commissioner or the officer authorized by the State Government in this behalf, within thirty days of passing of order under Sub-section (5).

राजस्व अपील संख्या 127/2017 उप रजिस्ट्रार जोधपुर कॉर्पोरेटिव मार्केट सोसायटी
बनाम आयुक्त नगर निगम जोधपुर वगैराह

15. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश अर्थात भू-आवंटन पत्र दिनांक 30.5.02 जो कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 7.9.2001 एवं 28.12.2001 के क्रम में सरकारी भूमि पर कब्जे के आधार पर जारी किया गया है, को धारा 90 बी के तहत जारी आदेश नहीं कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसकी अपील अन्तर्गत धारा 90-क(9) के तहत श्रवण किये जाने योग्य नहीं है एवं अपील को लिमिटेशन के बिन्दू एवं गुणावगुण पर अब सुनने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है क्योंकि अपीलाधीन आदेश धारा 90 बी के तहत नहीं होने से अपील श्रवणाधिकार के अभाव में पोषणीय नहीं है।

16. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपीलान्ट वादग्रस्त भू-आवंटन पत्र को कानूनी प्रावधानों के तहत चुनौती देने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय आज दिनांक .07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर